रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT
GOVT OF IN

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 1978/श्रावण 13, 1900
No. 229] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 1978/SRAVANA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Indiacode

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1978

सा० का० नि० 395 (अ)—केन्द्रीय सरकार तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1978 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अधिक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) "न्यायाधीश" के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधिपति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति, अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश भी है ;

(ङ) "सदस्य" से अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ।

3. अध्यक्ष का परिश्रमिक, भत्ते आदि : (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी दर से मासिक सम्बलम का हकदार होगा जो उसे, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुज्ञेय है । वह ऐसे भत्तों या अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है ।

(2) जहां अध्यक्ष ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपनी पदावधि के दौरान उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा से निवृत्त होता है, अथवा उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत न्यायाधीश को उस हैसियत में नियुक्त किया जाता है, वहां उसे उस अवधि के लिए जिसमें वह अध्यक्ष के रूप में सेवा करता है, ऐसे संबलम का संदाय किया जाएगा जो उसकी पेंशन और किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के पेंशन समतुल्य सहित, उस अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा जो उसने सेवानिवृत्ति के पूर्व लिया हो। वह ऐसे भत्तों या अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा जो, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है ।

(3) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति को, जो सेवारत न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश नहीं है, 3,500 रु० प्रति मास संबलम दिया जाएगा तथा वह ऐसे भत्ते लेने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन वाले सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय है ;

परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति को, अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के समय, सरकार के अधीन, अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के अधीन, अपनी पूर्वतन सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त होती है, तो ऐसे सम्बलम में से पेंशन की रकम और किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का पेंशन समतुल्य कम कर दिया जाएगा ।

4. सदस्यों का परिश्रमिक, भत्ते आदि : सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति को 3,000 रु० प्रति मास संदत्त किया जाएगा और वह ऐसे भत्ते लेने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन वाले सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं :

परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति को, सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय, सरकार के अधीन, या सरकार के स्वामित्वधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के अधीन किसी पूर्वतन सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे वेतन में से पेंशन की रकम और किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का पेंशन समतुल्य कम कर दिए जाएंगे।

5. सदस्य की पदावधि के दौरान सेवा निवृत्ति : जहां कोई सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के दौरान, सरकार के अधीन, अथवा सरकार के स्वामित्वधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के अधीन, सेवा से निवृत्त होता है, वहां उस अवधि के लिये जिसमें वह ऐसी निवृत्ति के पश्चात् सदस्य के रूप में सेवा करता है, उसके वेतन में से पेंशन की रकम और किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का पेंशन समतुल्य कम कर दिए जाएंगे।

6. यात्रा भत्ते :—(1) यदि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या निवृत्त न्यायाधीश है तो वह उन यात्राओं की बाबत जो उसने अधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की हों, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 अथवा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के अधीन उन दरों पर जो, यथा स्थिति, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं, यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा। किन्तु उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश उन स्थलों पर जो उनके मुख्यालय से दुरस्थ हैं, उनके प्रसामान्य कर्तव्यों से परे कृत्यों के करने के लिये, उच्चतर दैनिक भत्ते की उस प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा जो यथा स्थिति उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है।

(2) अध्यक्ष जो कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवा निवृत न्यायाधीश नहीं है, अथवा कोई सदस्य उन यात्राओं की बाबत, जो उसके द्वारा अधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की गई हों, उन्हीं दरों पर जो समतुल्य वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं, यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

7. छुट्टी : (1) जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश है, वहां ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो उसे, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अधीन अनुज्ञेय हों। उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की अवधि के दौरान निवृत्त होता है, सेवा से अपनी निवृत्ति की तारीख से केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा।

(2) जहां अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश है, वहां वह ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो सरकार के अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है।

(3) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो सरकार के अधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु जहां अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसको केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 लागू नहीं है, वहां वह उन नियमों के अधीन जो उसे ऐसी नियुक्ति के पहले लागू थे, छुट्टी सेवारत दी जाने का पात्र होगा।

8. दीर्घविकाश—(1) जहां अध्यक्ष सेवारत न्यायाधीश है, वहां वह यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) अथवा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार दीर्घविकाश का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष जो कि उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश नहीं है, तथा सदस्य दीर्घविकाश का हकदार नहीं होगा।

9. वास-सुविधा—(1) उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का ऐसा सेवारत न्यायाधीश या ऐसा सेवा निवृत्त न्यायाधीश जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किराए का संदाय किए बिना यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) अथवा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार सरकारी निवास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष जो कि उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीश नहीं है तथा सदस्य, विहित किराए का संदाय करने पर, ऐसी सरकारी वास-सुविधा का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

10. चिकित्सीय परिचर्या—(1) उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) अथवा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा।

(2) अधिकरण का अध्यक्ष जो कि उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, तथा सदस्य उन चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार होंगे जो समतुल्य वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

11. पदावधि—(क) जहां उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया जाता है वहां वह तीन वर्ष की अवधि या जब तक कि वह यथास्थिति पैंसठ वर्ष या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा :

परन्तु जहां उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को, यथास्थिति, पैंसठ वर्ष या बासठ वर्ष की आयु के परे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है, वहां वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक जो नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, अध्यक्ष के रूप में पद धारण करेगा।

(ख) जहां खण्ड (क) के अन्तर्गत न आने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां वह तीन वर्ष की अवधि या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तब तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

12. पद की शपथ—अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पहले से सरकारी सेवा में नहीं है, पद ग्रहण करने के पूर्व, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी के समक्ष जो पीठ में अपर सचिव से निम्नतर नहीं है, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में पद की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

13. व्यावृत्ति—किसी ऐसे विषय के बारे में, जो कुछ इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आया है, अध्यक्ष और सदस्य ऐसे नियमों या आदेशों द्वारा

Indiacode

पारित होंगे जो समतुल्य वेतन वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को लागू हों।

14. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन में सम्बन्धित कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह मामला केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

परिशिष्ठ

प्रारूप

(नियम 12 देखिए)

मैं ——————शपथ लेता हूं ——————

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के प्रति तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का वफादारी से, ईमानदारी से और निष्पक्षतापूर्वक पालन करूंगा।

अतः ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सदस्य

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण

अधिकारी जिसके समक्ष शपथ ली गई।

[फा० सं० 15/45/78-ए०डी० ए० (सी) I]

ए० एन० सरीन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1978

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulaters (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978;

(2). They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal;

(c) "Tribunal" means the Appellate Tribunal constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act;

(d) "Judge" includes the Chief Justice, an acting Chief Justice, an Additional Judge, an Acting Judge;

(e) "member" means a member of the Tribunal.

3. Remuneration, allowances etc. of the Chairman.—(1) A judge of the Supreme Court or of High Court appointed as Chairman shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to him as a judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(2) Where the Chairman retires from service as Judge of the Supreme Court or of a High Court during the term of office of such Chairman or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as such, he shall be paid for the period he serves as Chairman, such salary which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(3) A person not being a serving Judge, or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be paid a salary of Rs. 3,500 per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of equivalent pay :

Provided that if such a person at the time of his appointment as Chairman is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

4. Remuneration, allowances etc. of members.—A person appointed as member shall be paid a salary of Rs. 3,000 per mensem and shall be entitled to draw such allowances as the admissible to a Government officer of equivalent pay :

Provided that if such a person at the time of his appointment as member is in receipt of a pension in respect of any previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension aquivalent of any other form of retirement benefits.

5. Retirement during the term of member.—Where a member retires from service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Govenment during the term of office as such member, his salary for the period he serves as member after such retirement shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

6. Travelling Allowances.—(1) If the Chairman is a serving judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, or as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be. However, a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be entitled to the benefit of higher daily allowance admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be, for performing functions outside their normal duties in localities away from their headquarters.

(2) The Chairman, not being a Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court or any member shall be entitled to draw travelling allowance in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal at the same rates as are admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

7. Leave.—(1) Where the Chairman is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as may be admissible to him under the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954). The serving Judge of the Supreme Court or of a High Court retiring during the tenure of appointment as Chairman, he would be governed by Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 with effect from his date of retirement from service.

(2) Where the Chairman is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) A person appointed as a member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 :

Provided that where a person to whom the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 are not applicable, is appointed as the Chairman or a member, he shall be eligible for the grant of leave under the rules applicable to him before such appointment.

8. Vacation.—(1) Where the Chairman is a serving Judge, he shall be entitled to vacation in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of the 1958), or as case may be the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairman, who is not a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court and a Member shall not be entitled to vacation.

9. Accommodation.—(1) A serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court who is appointed as Chairman shall be entitled, without payment of rent, to the use of an official residence in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairman, who is not a serving Judge or a retired judge of the Supreme Court or of a High Court, and a member shall be entitled to government accommodation on payment of prescribed rent as admissible to a central government officer of equivalent pay.

10. Medical Attendance.—(1) A serving Judge or retired Judge of the Supreme Court or of a High Court shall be entitled to medical attendance in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairman, who is not a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, and a member of the Tribunal shall be entitled to medical facilities admissible to a central government officer of equivalent pay.

11. Tenure (1) (a) Where a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as Chairman, he shall hold office as Chairman for a period of three years or till he attains the age of sixty-five years or sixty-two years, as the case may be, whichever happens earlier :

Provided that where a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed or re-appointed as Chairman beyond the age sixty-five years or sixty-two years, as the case may be, he shall hold office as Chairman for such period not exceeding three years as may be determined by the Central Government at the time of appointment or re-appointment.

(b) Where a person not falling under clause (a) is appointed as Chairman, he shall hold office for a period of three years, or till he attains the age of sixty-five years, whichever happens earlier and shall not be eligible for re-appointment.

(2) A person appointed as member shall hold office till he attains the age of sixty years.

12. Oath of Office.—Every person appointed as the Chairman or as a member, not already in Government service, shall before entering upon office, make and subscribe to an oath of office before an officer of the Central Government not below the rank of Additional Secretary in the form appended to these rules.

13. Saving.—In respect of any matter not covered by these rules, the Chairman and a member shall be governed by such rules or orders as may be applicable to a Central Government officer of equivalent pay.

14. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

APPENDIX

Form

(See rule 12)

I, do swear/solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartiality.

So help me God.

Signature

Chairman member

Appellate Tribunal

for Forfeited Property

Officer before whom the oath was taken.

[F. No. 22/1/78-Ad IA(C)]

A. N. SAREEN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978